पत्र संख्याः यू.ओ.487/आठ–1–2009

प्रेषक,

श्री अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक : 27 जनवरी, 2010

विषयः हाई–टेक टाउनशिप 2007 को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हाईटेक नीति 2007 विषयक शासनादेश संख्या–3872/आठ–1–07–34विविध /03, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें शासनादेश संख्या 4916/आठ–1–07–34विविध/03, दिनांक 27 अगस्त, 2007 एवं शासनादेश संख्या 6481/आठ–3–08–34विविध/03, दिनांक 03 जनवरी, 2009 द्वारा कतिपय संशोधन भी किये गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गए निर्णय के सन्दर्भ में जिन विकासकर्ता कम्पनियों का चयन हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत किया गया है उन्हें यथावत् रखते हुए पूर्व घोषित हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 जिसमें शासनादेश दिनांक 27.08.08 एवं दिनांक 03.01.09 द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं, को समाप्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित "नयू टाउनशिप नीति 2009" के अन्तर्गत चयनित टाउनशिप्स का विकास, विकास प्राधिकरणों की सीमा क्षेत्र के बाहर होगा। इसलिए उन्हें हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 का कोई लाभ अनुमन्य नही होगा, किन्तु हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पूर्व चयनित विकासकर्ताओं के लिए आर्थिक मन्दी के दृष्टिगत औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1820/77–3–09–286एन/07, दिनांक 22 मई,2009 के अधीन प्रदान की गई

सुविधाओं/छूटों का लाभ हाईटेक टाउनशिप नीति 2007के अन्तर्गत चयनित विकासकर्ता कम्पनियों को ही प्राप्त होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करें।
12. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(एच.पी. सिंह)
अनु सचिव